रजिस्ट्री सं० डी०एल०—33004/96 REGD. NO. D.L.—33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 216] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 1996/चैत्र 7, 1918
No. 216] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 1996/CHAITRA 7, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY No. Date GOVT. OF INDIA

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1996

का० आ० 257 (अ).—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि यह किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र अथवा क्षेत्रों में अन्वेषण अथवा खनन प्रचालनों के प्रस्तावों पर व्यक्तिगत आधार पर अथवा प्रतिस्पर्धात्मक बोली पद्धति के अन्तर्गत विचार कर सकती है तथा किसी पक्षकार अथवा पक्षकारों को पेट्रोलियम के अन्वेषण अथवा खनन के प्रचालन चलाने हेतु अनुमति देने संबंधी निर्णय लेने के उपरांत ऐसी कार्रवाई कर सकती है जो संबंधित पक्षकार अथवा पक्षकारों को लाइसेंस अथवा पट्टा जारी करने के लिए आवश्यक हो ।

[सं० ओ-11014/1/91-ओ एन जी/डी० IV]
संजीव मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27 March, 1996

S. O. 257 (E).—In pursuance of Sub-rule (3), Rule 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby notifies that, it may consider proposals for prospecting or mining operations in any specified area or areas, either on an individual basis or under a competitive bidding system, and after taking a decision regarding permitting a party or parties to undertake operations for prospecting or mining petroleum, may take such action as may be necessary with regard to the issue of licence or lease to the concerned party or parties.

[No. O-11014/1/91-ONG/D. IV]
SANJIV MISRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi–110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi–110054 . 1996.